छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 02 मार्च, 2023 (फाल्गुन 11, 1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

(1) श्री पुनीत राम साहू, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य।

(2) श्री राधेश्याम शर्मा, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021– 22 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(5) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्रमांक 12 सन् 1999) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–03/सात–1/2022, दिनांक 24 नवम्बर, 2022 पटल पर रखेंगे।

4. दिसम्बर, 2022–जनवरी, 2023 सत्र के समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

5. दिसम्बर, 2022–जनवरी, 2023 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. नियम 267–क के अधीन दिसम्बर, 2022–जनवरी, 2023 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा स्वामी आत्मानंद विद्यालय के तहत् चयनित विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य में विलंब किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 3

11. वित्तीय वर्ष 2022–2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या– 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 55, 56, 64, 66, 69, 71, 76, 79 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **चार हजार एक सौ तिरालीस करोड़, साठ लाख, इकहत्तर हजार, छः सौ बावन रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

3 घंटे

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–1) विधेयक,2023 (क्रमांक 3 सन् 2023) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 01 मार्च,2023